



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर - 302018

क्रमांक: प.15(18)RSSB/नियम/की-वेलिडेशन/प्रेस नोट/2025/

दिनांक: As per E-Sign

-:: प्रेस-नोट ::-

बोर्ड द्वारा दिनांक **02.11.2025** को **ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती-2025** (परीक्षा कोड-K23L) आयोजित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट **www.rssb.rajasthan.gov.in** पर जारी कर दी गयी है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी/किन्हीं प्रश्न अथवा इसके/इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ **दिनांक 18-11-2025 समय 00:01 बजे (मध्य रात्रि) से दिनांक 20-11-2025 समय 23:59 बजे (मध्य रात्रि) तक** अपनी ऑनलाईन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं।

परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराये गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग-अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिये गये विकल्पों का क्रम भी अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। **अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियाँ दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें।**

बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क रु. 100/- निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेब साईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO आई.डी. के माध्यम से देय शुल्क ई-मित्र पेमेन्ट गेट-वे या ई-मित्र कियोस्क पर, जितने प्रश्नों पर आपत्तियाँ करनी है, उसके अनुसार प्रति प्रश्न रु 100/- की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्ज ई-मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जावेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेंगी। ऑनलाईन आपत्तियों का लिंक केवल **दिनांक 18-11-2025 समय 00:01 बजे (मध्य रात्रि) से दिनांक 20-11-2025 समय 23:59 बजे (मध्य रात्रि) तक** ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी।** आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जायेगी। आपत्तियों के लिये पोर्टल पर Standard, Authentic पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाईन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नम्बर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक/लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। **यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कन्टेन्ट (Original Text) में कूटरेचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनिमयों के अन्तर्गत कार्यवाही तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी।**

नोट:- जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन (Offline) आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं, इनमें से यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी/किन्हीं प्रश्नों अथवा इसके/इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो, **सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर** के नाम से निर्धारित शुल्क 100/- रुपये प्रति प्रश्न दर से देय शुल्क का पोस्टल ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न कर, **दिनांक 18-11-2025 समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 20-11-2025 समय सायः 06:00 बजे तक** अपनी ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर **बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष** में जमा करवा सकते हैं। **उल्लेखनीय है कि केवल वे ही अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं, निर्धारित समयावधि में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्य अभ्यर्थीगण नहीं।**

परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफण्ड नहीं होगा।
अतः वे आवश्यकतानुसार देय शुल्क ही जमा करावें।

सचिव

क्रमांक: प.15(18)RSSB/नियम/की-वेलिडेशन/प्रेस नोट/2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि:

- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है। कृपया इसका राज्य में प्रकाशित होने वाले निम्नांकित समाचार पत्रों के नवीनतम संस्करण में निःशुल्क प्रकाशन करावें :-
 - राजस्थान पत्रिका
 - दैनिक नवज्योति
 - दैनिक भास्कर

RajKaj Ref No.:
18794388

eSign 1.0

2. प्रभारी अधिकारी, IT Cell, RSSB को प्रेस नोट के साथ मास्टर प्रश्न पत्र व प्रारम्भिक उत्तर कुंजी अपलोड कराने हेतु प्रेषित है। कृपया ऑनलाइन आपत्तियाँ प्राप्त होने की अन्तिम दिनांक के शीघ्र बाद प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों की प्रति मय सॉफ्ट कॉपी तथा संलग्न दस्तावेजों को प्रश्नवार नियम अनुभाग, RSSB में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव